ट्रेनें फुल ट्रेनों में प्रवासी मजदूरो और यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही

लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने गृह राज्य चले प्रवासी !

जनरल से लेकर स्लीपर तक सभी डिब्बे फुल

स्टेशनों पर भीड़ का माहौल

शौचालय के पास बैठे यात्री

लंबी दूरी की ट्रेनों में पैर रखने जगह नहीं

जबलपुर, नवभारत। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में आज यानि गुरुवार 23 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान से ठीक पहले एक दिलचस्प और चौंकाने वाली तस्वीर जबलपुर रेलवे स्टेशन से सामने आई। पश्चिम मध्य रेलवे के बड़े और मुंबई प्रयागराज हावड़ा लाइन के महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक जबलपुर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों में इन दिनों प्रवासी मजदूरो और यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। जानकारी जुटाने पर पता चला कि देश के अलग-अलग राज्यों जैसे पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत के कई बड़े शहरों से लोग बड़ी संख्या में अपने गृह राज्य पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की ओर लौट रहे हैं। इसका कारण इन राज्यों में होने वाले मतदान को बताया जा रहा है। जहां सभी इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने अपने गृह राज्यों की ओर प्रस्थान करते हुए दिखे। इसमें सर्वाधिक यूपी, बिहार और झारखंड होकर पश्चिम बंगाल की ओर जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ देखी गई थी।

मतदान है जरूरी

वही अधिकारियों की माने तो रेलवे ने इस बढ़ती भीड़ को संभालने के लिए स्पेशल ट्रेनों की भी व्यवस्था की है, लेकिन इसके बावजूद यात्रियों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। यात्रियों से बातचीत करने में सामने आया कि कुछ लोग साफ तौर पर वोटिंग के लिए पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु लौट रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि उनकी पहले से ही घर जाने की योजना थी, जिसमें अब चुनाव का समय भी जुड़ गया है। कुछ यात्रियों ने बताया कि इस बार मतदाता सूची से जुड़े अपडेट और प्रक्रियाओं की वजह से भी लोग अपने-अपने घर जाकर मतदान को लेकर सतर्कता दिखा रहे हैं।

कपड़ा बांधकर किया देसी जुगाड़

प्लेटफार्म पर लगती भीड़

जबलपुर रेलवे स्टेशन में लंबी दूरी की ट्रेनों के पहुंचते ही स्टेशन के फूड स्टॉल, पेयजल काउंटर समेत अन्य जगहों पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। ज्यादातर ट्रेनों का दस मिनट का स्टॉपेज रहने के कारण इनमें सफर कर रहे आम यात्रियों को खाने पीने की बेहतर सुविधा मुहैया हो जाती है। बुधवार की दोपहर दो बजे जबलपुर पहुंची ज्ञानगंगा एक्सप्रेस, पुणे सुपौल एक्सप्रेस और मुंबई मेल जैसी कई ट्रेनों में सीट से ज्यादा यात्री बैठे नजर आए। वही ट्रेनों के आते ही प्लेटफॉर्म पर बने फूड स्टॉल्स पर लंबी कतारें देखने को मिली।

इन ट्रेनों में बढ़ी भीड़

जबलपुर से होकर गुजरने वाली श्रमिक एक्सप्रेस, मुजफ्फरपुर हड़पसर एक्सप्रेस, गंगा कावेरी, संघमित्रा एक्सप्रेस, एलटीटी दानापुर और तापी गंगा एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। रेलवे स्टेशन और ट्रेनों के अंदर की तस्वीरें साफ दिखाती हैं कि इस समय भीड़ सामान्य दिनों की तुलना में काफी ज्यादा है। एसी कोच से लेकर जनरल डिब्बों तक हर जगह यात्रियों की भारी संख्या नजर आ रही है।

प्रदेश में बंद आरटीओ के चेक पोस्ट फिर से चालू होंगे, सरकार को तीस दिन की मोहलत

जबलपुर। प्रदेश में बंद आरटीओं के चैक पोस्ट पुनः चालू होंगे। हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने इसके लिये सरकार को तीस दिन की मोहलत दी है। दरअसल एक जनहित याचिका के निराकरण के दौरान सरकार ने अंडरटेकिंग दी थी वह ओवर लोडिंग रोकने चैक पोस्टों का संचालन जारी रखेगी, लेकिन उसके एक साल बाद सरकार ने चैक पोस्ट बंद कर दिये। जिस पर यह अवमानना याचिका दायर की गई थी। जिस पर सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। जिसे सुनाते हुए न्यायालय ने सरकार को तीस दिनों में चैक पोस्ट का संचालन करने के निर्देश दिये, उक्त समयावधि में आदेश का पालन न होने पर आवेदक को पुनः अवमानना मामला दायर करने की स्वतंत्रता दी है।

दरअसल यह अवमानना का मामला सतना निवासी रजनीश त्रिपाठी की ओर से दायर किया गया है। जिनकी ओर से अधिवक्ता जुबीन प्रसाद ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि वाहनों की ओवर लोडिंग और बढ़ते हादसों को लेकर वर्ष 2006 में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। उक्त मामले का 3 जनवरी 2023 को निराकरण सरकार के हलफनामें पर दिये गये जवाब में हुआ था। जिसमें कहा गया था वह प्रदेश के चैक पोस्टों का संचालन जारी रखेंगे और इसके अलावा अन्य माध्यमों से भी वाहनों की ओवर लोडिंग रोकेंगे। इसके बाद प्रदेश में 30 जून 2024 से आरटीओ चेक पोस्ट बंद कर दिए थे। जिसे न्यायालय की अवमानना बताते हुए यह मामला दायर किया गया था। जिसमें आईएएस मनीष सिंह प्रमुख सचिव परिवहन विभाग व विवेक शर्मा परिवहन आयुक्त को पक्षकार बनाया गया था। हाईकोर्ट ने उक्त मामले का निराकण करते हुए सरकार को आदेश दिया कि वह पूर्व में दी गई अंडरटेकिंग का तीस दिनों में पालन करते हुए चैक पोस्ट का संचालन शुरु करे, साथ विभागीय अधिकारी वाहनों में ओवरलोडिंग की जांच हेतु अन्य तरीकों को अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके साथ ही न्यायालय ने कहा है कि यदि 30 दिनों के भीतर आदेश का पालन नहीं किया जाता तो याचिकाकर्ता अवमानना याचिका लगाकर इस याचिका को पुनर्जीवित कर सकता है।

बिल्डर ने बिना अनुमति बनाई थी दुकानें

कजरवारा में गरजा बुल्डोजर, दो दुकानें ध्वस्त

जबलपुर। नगर निगम संभाग क्रमांक 11 राजा गोकुलदास धर्मशाला के वार्ड नं. 66 के अंतर्गत कजरवारा रोड पर बुधवार को बुल्डोजर एक्शन हुआ। नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता लाव लश्कर के साथ पहुंचा और बिल्डर द्वारा बिना अनुमति बनाई गई दो दुकानों पर बुल्डोजर गरजा।

जानकारी के अनुसार कजरवारा रोड, सविता एवेन्यू ग्रीन अपार्टमेंट के सामने, बिल्डर अनिल मिश्रा द्वारा मुख्य मार्ग पर बिना अनुमति 2 दुकाने निर्मित कर दी गई थी। सविता एवेन्यू ग्रीन अपार्टमेंट के सामने फ्रंट मार्जिन की जगह पर बिल्डर द्वारा व्यावसायिक दुकानों का निर्माण कर लिया गया था, नगर निगम के मानचित्र और भवन अनुज्ञा नियमों के विरुद्ध था। विभाग द्वारा नोटिस दिए जाने के उपरांत, निगम की टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए इन अवैध संरचनाओं को हटा दिया। विदित हो कि निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देशानुसार शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और सुगम यातायात सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा अवैध निर्माणों के विरुद्ध शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जा रही है। इसी क्रम में प्रभावी कार्रवाई की गई। दो दुकानों को ध्वस्त किया गया।

सौंदर्यीकरण को बढ़ावा, यातायात की बाधाएं दूर, मिली सराहना

निगमायुक्त ने बताया कि इस तरह की कार्रवाइयां न केवल शहर के सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देती हैं, बल्कि भविष्य में होने वाली यातायात बाधाओं को भी रोकती हैं। वार्ड 66 के निवासियों ने निगम की इस निष्पक्ष कार्रवाई की सराहना की है, जिससे यह संदेश गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी रसूखदार व्यक्ति या बिल्डर को बख्शा नहीं जाएगा। शहर को व्यवस्थित और सुंदर बनाना हमारी प्राथमिकता है। अवैध निर्माण न केवल नियमों का उल्लंघन हैं, बल्कि यह सार्वजनिक सुविधाओं को भी बाधित करते हैं। भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।

नर्सिंग कालेज फर्जीवाड़ा मामले की अब दूसरी बेंच करेगी सुनवाई

चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने दी व्यवस्था

जबलपुर। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने बहुचर्चित नर्सिंग कालेज फर्जीवाड़ा मामले की सुनवाई के लिए दूसरी बेंच का निर्धारण कर दिया है। इसके तहत अब यह मामला जस्टिस विवेक अग्रवाल की अध्यक्षता वाली युगलपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए लगेगा।

दरअसल, याचिकाकर्ताओं की ओर से त्वरित सुनवाई की मांग की गई थी। न्यायालय को बताया गया था कि सीबीआई द्वारा अयोग्य घोषित किए गए 117 नर्सिंग कालेजों के छात्रों की परीक्षाएं 27 अप्रैल से प्रस्तावित हैं। यदि समय रहते हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हुई तो हजारों छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसे गंभीरता से लेते हुए चीफ जस्टिस ने नई व्यवस्था दे दी। मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। दरअसल, 2022 में ला स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने इस मामले में जनहित याचिका दायर की थी। इसमें प्रदेश के निजी नर्सिंग कालेजों में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा, मानकों की अनदेखी और अवैध मान्यता का आरोप लगाया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने पहले सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। बाद में कई कालेजों को अयोग्य घोषित किया गया। नौ अप्रैल को कोर्ट ने वर्ष 2024 में जीएनएम परीक्षा देने वाले करीब 30 हजार छात्रों के परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी थी।

राज्य पुलिस के तीन अधिकारियों को कैट से अंतरिम राहतं

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, कैट की युगलपीठ ने तीन राज्य पुलिस अधिकारियों के हक में राहतकारी अंतरिम आदेश पारित किया। इसके तहत भारतीय पुलिस सेवाए आईपीएस के दावे पर विचार करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच यथास्थिति बकरार रखने की व्यवस्था दी गई है। साथ ही केंद्र व राज्य शासन सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने निर्देशित किया गया है। याचिकाकर्ता जबलपुर में पदस्थ एडिशनल एसपी जितेंद्र सिंह के अलावा सत्येंद्र सिंह तोमर व महेश कुमार वैश्य की ओर से अधिवक्ता पंकज दुबे व अक्षय खंडेलवाल ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता 1998 बैच के राज्य पुलिस अधिकारी हैं। उन्हें 56 वर्ष की आयु सीमा पार करने के कारण आईपीएस के दावे से बाहर किया जा रहा है। दरअसल, ओवरएज होने की वजह याचिकाकर्ता पात्र नहीं हैं बल्कि केंद्र व राज्य शासन ने प्रत्येक पांच वर्ष में किए जाने वाले अनिवार्य कैडर रिव्यू में विलंब किया है। नियमानुसार कैडर रिव्यू 2018 में होना था, लेकिन 2022 में चार वर्ष के विलंब से किया गया। इस विलंब के कारण आवेदक नियत आयु सीमा पार कर दिए। इस वजह से उनका वैधानिक अधिकार प्रभावित हुआ है। आवेदक 26-27 वर्ष की सेवा पूरी करने के आधार पर आईपीएस कैडर के पात्र हैं। जिस कारण शासन-प्रशासन के स्तर पर हुए विलंब के लिए उन्हें नुकसान पहुंचाना अनुचित है। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।

दसवीं के छात्रों के अंकों में गड़बड़ी पर बवाल, अभिभावकों ने एफआईआर दर्ज कराने उठाई मांग

नवभारत, जबलपुर। अमखेरा स्थित एक निजी विद्यालय में कक्षा 10वीं (सत्र 2025-26) के छात्रों के आंतरिक मूल्यांकन अंकों में कथित गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद अभिभावकों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस मुद्दे को लेकर अभिभावकों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। अभिभावकों का आरोप है कि विद्यालय द्वारा इंटरनल नंबर देने में जानबूझकर भेदभाव किया गया। जो छात्र गोवा ट्रिप में शामिल नहीं हुए, उन्हें कम अंक दिए गए, जबकि ट्रिप में गए छात्रों को पूर्ण अंक प्रदान किए गए। इससे बोर्ड परीक्षा के अंतिम परिणाम पर सीधा असर पड़ा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए अभिभावकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और एडिशनल एसपी को शिकायत देकर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उनका कहना है कि यह केवल लापरवाही नहीं, बल्कि बच्चों के भविष्य के साथ जानबूझकर किया गया अन्याय है। अभिभावक एवं विद्यार्थियों में अमित पलिया, रुद्ध सिंह, सीबी यादव, निशांत तिवारी, वीनी यादव, पूजा, शिल्पा, चित्रा मालवीय सहित सैकड़ों अभिभावकों ने प्रशासन से शीघ्र हस्तक्षेप कर न्याय दिलाने की मांग की है।

सीबीएसई भोपाल को भी भेजी जानकारी

बताया जा रहा है कि इस अनियमितता को स्वयं विद्यालय प्रबंधन ने स्वीकार किया है और इस संबंध में सीबीएसई भोपाल को भी जानकारी भेजी गई है। इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से अभिभावकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सचिन गुप्ता ने कहा कि यदि किसी ट्रिप के आधार पर छात्रों के अंक तय किए जा रहे हैं, तो यह शिक्षा व्यवस्था के लिए बेहद खतरनाक संकेत है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की।

अवैध उत्खनन और परिवहन में लगे 3 हाईवा पकड़े

नवभारत,जबलपुर। जिला प्रशासन द्वारा अवैध रेत कारोबारियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। इसी क्रम में कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह के निर्देशों पर खनिज विभाग की टीम ने शहपुरा तहसील के विभिन्न क्षेत्रों में छापामार कार्रवाई कर तीन हाईवा को जब्त कर नदी में चल रही नावों को नष्ट किया गया। जानकारी के अनुसार खनिज अधिकारी ए के राय और खनिज निरीक्षक विवेकानंद यादव ने विभागीय अमले के साथ पावला और जुगपुरा ग्रामों के नदी घाटों का औचक निरीक्षण किया तथा रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन में लगे 3 बड़े हाईवा वाहनों को पकड़ा। दस पहिया के इन हाइवा को जब्त कर सुरक्षा के लिए बेलखेड़ा थाने की अभिरक्षा में खड़ा करवा दिया गया है।

रेत निकालने वाली नाव की नष्ट

अवैध खनन पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने नदी के किनारों पर रखी उन नावों को भी मौके पर ही नष्ट कर दिया, जिनका उपयोग चोरी-छिपे रेत निकालने के लिए किया जाता था। खनिज विभाग ने साफ कर दिया है कि जिले में खनन माफिया के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

पदाधिकारी अब नहीं लड़ सकेंगे स्टेट बार का चुनाव

धूलिया कमेटी ने नामांकन निरस्तीकरण को माना सही

जबलपुर, नवभारत। मप्र स्टेट बार काउंसिल के आगामी 12 मई को प्रस्तावित चुनावों के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर गठित जस्टिस सुधांशु धूलिया कमेटी ने स्पष्ट किया है कि बार एसोसिएशनों के वर्तमान पदाधिकारी इस चुनाव को लड़ने के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। कमेटी के इस निर्णय के बाद जबलपुर के 4 उम्मीदवारों सहित प्रदेश भर के कुल 11 पदाधिकारियों के नामांकन निरस्त होने का रास्ता साफ हो गया है। इस फैसले ने राज्य की विधिक राजनीति में हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि कई दिग्गज चेहरे अब चुनावी दौड़ से बाहर हो गए हैं। पूरे विवाद की मुख्य जड़ बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई का वह नियम है, जो बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को स्टेट बार काउंसिल का चुनाव लड़ने से रोकता है। हालांकि पूर्व में उच्चतम न्यायालय ने इस नियम को अनुचित बताते हुए बीसीआई को एक सप्ताह के भीतर संशोधन करने के निर्देश दिए थे। शीर्ष अदालत के रुख को देखते हुए मप्र उच्च न्यायालय बार के अध्यक्ष डीके जैन, सचिव परितोष त्रिवेदी और जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष मिश्रा सहित अन्य ने नामांकन दाखिल किए थे। उम्मीदवारों ने यह वचन पत्र भी दिया था कि जीतने की स्थिति में वे 15 दिनों के भीतर एक पद से त्यागपत्र दे देंगे। लेकिन तकनीकी पेंच तब फंसा जब यह पता चला कि बीसीआई ने नियमों में बदलाव की प्रक्रिया तो शुरू कर दी है, परंतु इसकी आधिकारिक अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है। जस्टिस सुधांशु धूलिया कमेटी ने मंगलवार रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस विषय पर विस्तृत सुनवाई की। सुनवाई के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि संशोधित नियमों को सार्वजनिक तौर पर अधिसूचित होने में अभी 10 से 15 दिनों का समय लगेगा। कमेटी ने अपने विधिक निष्कर्ष में कहा कि जब तक कोई नया नियम अधिसूचित नहीं हो जाता, तब तक वह अस्तित्व में नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में वर्तमान तिथि पर पुराने नियम ही प्रभावी रहेंगे। कमेटी ने हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र के उदाहरणों का हवाला देते हुए कहा कि वहां भी इसी आधार पर नामांकन निरस्त किए गए थे, अतः मध्यप्रदेश के मामले में दोहरा मापदंड नहीं अपनाया जा सकता। राज्य स्तरीय चुनाव समिति ने जस्टिस धूलिया कमेटी के मार्गदर्शन के बाद कार्यवाही करते हुए उन 11 उम्मीदवारों के पर्चे निरस्त कर दिए हैं जो विभिन्न बार निकायों में पद संभाल रहे हैं। इसके अतिरिक्त समिति ने अनुशासन और शुचिता का हवाला देते हुए 8 अन्य उम्मीदवारों के नामांकन भी रद्द किए हैं।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57